RR-MTS.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 336] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 12, 2016/वैशाख 22, 1938
No. 336] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 12, 2016/VAISAKHA 22, 1938

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2016

सा.का.नि. 502(अ).- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर (वर्ग 'घ' पद की भर्ती), भर्ती (संशोधन) नियम, 1959, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर मल्टी टास्किंग स्टाफ भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण, पे बैंड और ग्रेड पे अथवा वेतनमान.-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, पे बैंड और ग्रेड पे अथवा वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अर्हताएं आदि.-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,

निदेशक कार्यालय क्रम स० 593 दिनांक 23-5-16
स्थापना अनुभाग
संख्या 360
दिनांक 24-5-16

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र होगा: बशर्ते कि यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड, ग्रेड वेतन और वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
1. मल्टी टास्किंग स्टाफ	103* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1: (5,200-20,200 रूपये जमा ग्रेड वेतन 1800/- रू.)

चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच **टिप्पण 1** :आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारतीय उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (तथा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख डिवीजन, लाहौल और स्पीति जिलें तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का पांगी सब-डिवीजन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के संबंध में विनिर्दिष्ट अंतिम तिथि नहीं)। **टिप्पण 2:** आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि वह तिथि होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित है। **टिप्पण 3** :रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती किए जाने के मामले में, आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि वह तिथि होगी रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने की अंतिम तिथि है।	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा समकक्ष द्वारा मैट्रिक; अथवा आई.टी.आई. पास

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : सीधे भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	दो वर्ष	सीधे भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए जिसमें निम्नलिखित होंगे : (1) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - अध्यक्ष (2) सहायक आचार्य, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य (3) वरिष्ठ तकनीकी सहायक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य	लागू नहीं।

[फा.सं. ए-12018/4/2013-एस॰ए॰]

प्रशांत त्रिवेदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2016

G.S.R.502 (E).– In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Sugar Institute, Kanpur (Recruitment to Class-IV posts) Rules, 1959, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff, in the National Sugar Institute, Kanpur under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, namely :-

1.Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, National Sugar Institute, Multi Tasking Staff, Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2016.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.– The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.– The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification.– No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Multi Tasking Staff	103 * (2016) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C' non-gazetted, non-Ministerial	Pay band-1: Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.1800	Not applicable	Between 18 and 27 years of age. **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** The crucial date for determining the age- limit shall be the date as advertised by the Staff Selection Commission. **Note 3:-** In case of posts filled through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the closing date by which Employment Exchanges are asked to furnish the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct Recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
Matriculation from a recognised Board or equivalent; or ITI Pass	Not applicable	Two years	Direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, the grade from which promotion or deputation / absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted
11.	12.	13.
Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee, for considering confirmation, consisting of :- 1. Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur - Chairman 2. Assistant Professor, National Sugar Institute, Kanpur - Member 3. Senior Technical Assistant National Sugar Institute, Kanpur - Member	Not applicable.

[F. No. A-12018/4/2013-SA]

PRASHANT TRIVEDI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.